संख्या-213/2021/908रासनि/23-1-21-102रासनि/20

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभा गाध्क्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद चित्रकूट के 50 मार्गों के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-3914(54-VII)समग्र वृत्त/2021-22, दिनांक 17.09.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट के 50 मार्गों के कार्य हेतु कुल लागत रू0 45,32,52,000/- (रूपये पैतालीस करोड़ बत्तीस लाख बावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 4,53,28,000/- (रूपये चार करोड़ तिरपन लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंत(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्यो को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचिलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंत(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-0024-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या-213/2021/908रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, चित्रकूट।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. नोडल अधिकारी (ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0–213/2021/908रासनि/23–1–21–102रासनि/20, दिनांक 03.10.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	चित्रकूट	महुली मोड से पंचायत भवन तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.60	123.67	12.37
2	चित्रकूट	अहिरन पुरवा मार्ग से भुइहरी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.50	39.17	3.92
3	चित्रकूट	राजस्व ग्राम ओरा का मजरा यादव पुरवा (डिगरी पुरवा) में सड़क का नवनिर्माण कार्य	0.40	32.61	3.26
4	चित्रकूट	रमपुरिया ग्राम के अन्दर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.30	31.60	3.16
5	चित्रकूट	पिच रोड से दरसेड़ा अस्पताल तक सड़क का नवनिर्माण कार्य	0.60	48.95	4.90
6	चित्रकूट	बदहिया बाबा चौराहा से पटखन बाबा तक सड़क का नवनिर्माण कार्य	4.00	317.29	31.73
7	चित्रकूट	गोरेलाल के घर से गुर्दा पुरवा तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.00	76.42	7.64
8	चित्रकूट	सिधौली से भानपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2.00	137.93	13.79
9	चित्रकूट	नहरा गांव से महमाई देवी तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.50	35.36	3.54
10	चित्रकूट	व्यास बन्ना गांव से नहर (गौतम जी के बोर) तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2.00	136.87	13.69
11	चित्रकूट	देवल कुचारम मेनरोड से कुचारम गांव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.30	27.46	2.75
12	चित्रकूट	व्योहरा से बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	4.50	310.42	31.04
13	चित्रकूट	सिधौली से बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.50	114.28	11.43
14	चित्रकूट	गौहनी तिराहा से चुनबाद के पास पुलिया तक नाला निर्माण का कार्य	0.10	7.35	0.74
15	चित्रकूट	अतरौली भुईया बाबा से गंगापुरवा तक सड़क निर्माण कार्य	1.10	89.91	8.99
16	चित्रकूट	ग्राम कंठीपुर में रंजन कोरी के मकान से शिव औतार के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य	0.50	34.80	3.48
17	चित्रकूट	ग्राम बूढ़ा में रामकिशोर के ट्यूबेल से नहर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	1.20	82.01	8.20
18	चित्रकूट	ग्राम बूढा में पेट्रोल पम्प से बिन्दासिन माता तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.55	38.48	3.85
19	चित्रकूट	ग्राम परसौजा में सोसाइटी से नदी घाट तक सड़क/ नाला निर्माण का कार्य	0.75	85.21	8.52
20	चित्रकूट	बालापुर खालसा का मजरा कालूपुर से बिहारीनगर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.41	106.10	10.61
21	चित्रकूट	इटौरा से कोटा– कंठीपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	3.40	246.80	24.68
22	चित्रकूट	भौंरी नांदी मार्ग के किमी0 8 से ग्राम नांदी में गढ़ही तालाब होकर कुंजल के दरवाजे तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	0.60	81.28	8.13
23	चित्रकूट	कर्वी राजापुर सम्पर्क मार्ग से अमरपुर रगौली विद्यालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.16	16.46	1.65
24	चित्रकूट	ग्राम कसहाई में सुनील पाण्डेय के दरवाजे से लोटन कोटार्य के घर तक इन्टर लाकिंग एवं नाली का कार्य	0.10	7.14	0.71
25	चित्रकूट	अशोह परसौंजा सम्पर्क मार्ग से सुल्तान पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.00	68.18	6.82
26	चित्रकूट	ग्राम कसहाई कुंजन पुरवा आरा मशीन (गोल तालाब) में रामचन्द्र के घर के पास से बाबूलाल सोनी के घर तक नाली का निर्माण कार्य	0.30	8.96	0.90
27	चित्रकूट	ग्राम छेछरिया खुर्द में बरम बाबा से कोदूराम रैदास के दरवाजे तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य	0.25	26.18	2.62
28	चित्रकूट	विसण्डा रोड से भोला पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.00	72.27	7.23

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

क्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
29	चित्रकूट	नदीघाट से लेखरिया पुरवा (परसौंजा का मजरा कोलू यादव का डेरा तक) सड़क निर्माण का कार्य	0.65	45.14	4.51
30	चित्रकूट	पहाड़ी बिसण्डा रोड से साईपुर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.70	48.44	4.84
31	चित्रकूट	राजस्व ग्राम किला बाग से राजस्व ग्राम सीतापुर ग्रामीण का मजरा बान तालाब तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.80	72.45	7.25
32	चित्रकूट	भानपुर से रामा का पुरवा (तेली कुंआ) तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	4.00	274.06	27.41
33	चित्रकूट	राजस्व ग्राम व्यास बन्ना में उमिरचन्द्र का डेरा से लाल जी मिश्र के घर तक निर्माण कार्य	0.08	6.10	0.61
34	चित्रकूट	राजस्व ग्राम कुई में सरदार के पुरवा से अकबरिया तक सड़क निर्माण कार्य	1.25	94.68	9.47
35	चित्रकूट	राजस्व ग्राम बसिला में कामता चमार के दरवाजे से भांगा तक रोड का नवनिर्माण का कार्य	3.00	236.30	23.63
36	चित्रकूट	ग्राम पंचायत कौहारी का मजरा बुद्ध पुरवा से अकेलवा बाबा स्थान की ओर मार्ग निर्माण	0.50	41.26	4.13
37	चित्रकूट	ग्राम पंचायत देवकली में अहिरन पुरवा से देवकली प्राथमिक विद्यालय तक मार्ग का नवनिर्माण	1.00	74.28	7.43
38	चित्रकूट	ग्राम पंचायत कर्वी माफी में गोविन्द चमार के घर से पप्पू के डेरा तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य	0.75	63.15	6.32
39	चित्रकूट	ग्राम लोहदा से बालकेश्वरी देवी मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	2.30	184.32	18.43
40	चित्रकूट	कर्वी बूढ़ा राजापुर मार्ग से रामजी पाण्डेय के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.50	53.91	5.39
41	चित्रकूट	ग्राम कहेटा में मन्दिर से नदी तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.15	17.94	1.79
42	चित्रकूट	ग्राम बसिला से आनन्दपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	3.00	216.51	21.65
43	चित्रकूट	ग्राम पंचायत छिपनी बाहर खेडा में मेन रोड से गांव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.00	72.24	7.22
44	चित्रकूट	ग्राम पंचायत बसिला से गंगापुर मोड से ओहन नहर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.00	74.63	7.46
45	चित्रकूट	ग्राम बक्टा में रमजनिया ताला से लेकर मुस्लिम पुरवा से होते हुये हरीबाबा एवं हनुमान जी तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	0.90	103.99	10.40
46	चित्रकूट	राजस्व ग्राम लौढ़िया बुजुर्ग में विजय लोध के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.05	6.92	0.69
47	चित्रकूट	राजस्व ग्राम रगौली में गिडुवा नाला से इमरती नाला तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.20	19.20	1.92
48	चित्रकूट	ग्राम पंचायत काड़ी खेड़ा भीटाखेडा में मेन रोड तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.50	110.33	11.03
49	चित्रकूट	ग्राम पंचायत रम्पुरिया से डुडौली सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	2.30	176.28	17.63
50	चित्रकूट	ग्राम पंचायत टिटिहरा सम्पर्क मार्ग के किमी0 –6 से पल्हरियन पुरवा होते हुए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे तक सम् पर्क मार्ग का नवनिर्माण	2.00	137.23	13.72
		योग		**4532.52**	**453.28**

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in